भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं.178

जिसका उत्तर सोमवार, दिनांक 22 जुलाई, 2024, आषाढ़ 31, 1946 (शक) को दिया जाना है

जीएसटी संग्रह

+178. श्री अरुण भारती:

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या माल एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रहण में प्रतिमाह वृद्धि हो रही है और यदि हां, तो जून, 2024 तक का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने तदनुरुपी वर्षों के दौरान विभिन्न राज्य सरकारों को सभी बकाया राशि का भुगतान कर दिया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) केंद्र सरकार द्वारा कोई वैकल्पिक तंत्र तैयार किया गया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ)क्या बिहार सहित विभिन्न राज्यों ने पूंजीगत व्यय में वृद्धि के मद्देनजर उदार राजकोषीय सहायता का अनुरोध किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

उत्तर
वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क): जी हाँ। जुलाई 2023 से जून 2024 तक सकल जीएसटी संग्रह का विवरण नीचे दिया गया है: -

माह	**राशि (करोड़ रुपए में)**	**माह**	**राशि (करोड़ रुपए में)**	**वृद्धि दर**
जुलाई-22	1,48,995	जुलाई-23	1,65,105	10.8%
अगस्त-22	1,43,612	अगस्त-23	1,59,069	10.8%
सितंबर-22	1,47,686	सितंबर-23	1,62,712	10.2%
अक्टूबर-22	1,51,718	अक्टूबर-23	1,72,003	13.4%
नवंबर-22	1,45,867	नवंबर-23	1,67,929	15.1%
दिसंबर-22	1,49,507	दिसंबर-23	1,64,882	10.3%
जनवरी-23	1,57,554	जनवरी-24	1,74,106	10.5%
फरवरी-23	1,49,577	फरवरी-24	1,68,337	12.5%
मार्च-23	1,60,122	मार्च-24	1,78,484	11.5%
अप्रैल-23	1,87,035	अप्रैल-24	2,10,267	12.4%
मई-23	1,57,090	मई-24	1,72,739	10.0%
जून-23	1,61,497	जून-24	1,73,813	7.6%

(ख), (ग) और (घ): जी हां। केंद्र सरकार प्रत्येक महीने राज्यों को देय आईजीएसटी शेष का निपटान करती है।

इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने पांच वर्ष अर्थात 1 जुलाई, 2017 से 30 जून, 2022 तक माल और सेवा कर के लागू होने के कारण (2015-16 के आधार वर्ष के राजस्व पर 14% प्रति वर्ष पर संरक्षित) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अनंतिम रूप से स्वीकार्य जीएसटी क्षतिपूर्ति की पूरी राशि पहले ही जारी कर दी है। कोविड-19 की अवधि के लिए, केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 1.1 लाख करोड़ ₹ और वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 1.59 लाख करोड़ ₹ जारी किए हैं, जो जीएसटी क्षतिपूर्ति में कमी के कारण राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के संसाधनों को पूरा करने के लिए बैक टू बैक ऋण के रूप में राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को जारी किए गए हैं। लेखापरीक्षित आंकड़ों के साथ अनंतिम आंकड़ों के मिलान से उत्पन्न अंतिम क्षतिपूर्ति को महालेखा परीक्षक (एजी) के प्रमाण पत्र प्राप्त होने के तुरंत बाद जारी कर दिया जाता है तथा कोई राशि जारी करने के लिए लंबित नहीं है।

(ङ) और (च): जी नहीं।

हालाँकि, बिहार सहित विभिन्न राज्यों ने, राज्यों के साथ वित्त मंत्री की बजट पूर्व परामर्श बैठक में, राज्यों से संबंधित मुद्दे उठाए हैं।

*****